न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 22/2018
GCMS NO. 2018/00026

कमला देवी पत्नी रामस्वरूप उम्र 57 साल जाति अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

......................वादिया

– ब ना म –

1. रामनारायण पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. हरदयाल पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. ज्यानकी देवी पत्नी झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. प्रभुदयाल पुत्र झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. हजारी लाल पुत्र झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. हवासिंह पुत्र झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. सुबेसिंह पुत्र झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. ग्यारसी देवी पत्नी दलीप सिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
9. अजय कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
10. संदीप कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
11. सन्तरा देवी पत्नी रतीराम पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
12. सुनिल कुमार पुत्र रतीराम पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

13. लालचन्द पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
14. भूरी देवी पत्नी रामसिंह जाति अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..........................प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक खातेदारी एवं खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक यादव (सांतोर) अभिभाषक वादिया

–: <u>निर्णय</u> :– दिनांक :– **17.07.2025**

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादिया की ओर से दिनांक **06.02.2018** को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित कृषि भूमि खाता स० 60 के ख० न० 18 रकबा 0.07 है० ख० न० 19 रकबा 0.12 है0 ख० न० 85 रकबा 0.39 है० ख० न0 91 रकबा 0.18 है० ख० न० 154 रकबा 0.30 है० ख० न० 155 रकबा 0.70 है० ख० न० 183 रकबा 0.38है० ख० न० 262 रकबा 0.64 है० ख० न0 263 रकबा 0.64 है0 ख० न0 264 रकबा 0.60 है० कुल किता 10 कुल रकबा 4.02 है0 के प्रतिवादीगण व उसके हकपूर्वाधिकारी खातेदार कास्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड थे।
2. यह कि वाके ग्राम इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 के अनुसार खाता स० 60 के ख० न० 18 रकबा 0.07 है० ख० न० 85 रकबा 0.39 है० ख० न० 91 रकबा 0.18 है0 ख० न० 154 रकबा 0.30 है० ख० न० 155 रकबा 0.70 है० ख० न० 183 रकबा 0.38 है० ख० न0 262 रकबा 0.64 है0 ख० न0 263 रकबा 0.64 है० ख० न० 264 रकबा 0.60 है० कुल किता 10 कुल रकबा 4.02है0 में श्योनारायण पुत्र धनसी जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था खातेदार कास्तकारों ने अपने अपने अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा था तथा बाहमी बंटवारे के मुताबिक काबिज थे खातेदार श्यो[illegible]त्र धंशी जो प्रति० स० 7 ल० 12 का हकपूर्वाधिकारी पि[illegible] वास्ते रूपयों की अति आवश्यकता थी ऐसी रि[illegible] में उपरोक्त [illegible] भूमि में हिस्सा 1/3 में से 0.38 है० भूमि को मुल्य 223500 रूपये अंकेही दो लाख तेईस हजार पाँच सौ रूपये में वादीया को बेचान कर बिलकुल कारकट बेचान कर दिया तथा विक्रय की राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

प्राप्त कर विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2007 को वादीया के पक्ष में तहरीर करवाकर तस्दीक करवा दिया तथा कब्जा वादीया को करवा दिया तभी से वादीया अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज कास्त है मौके पर वाद वर्णित भूमि के खातेदारान कास्तकारों ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा शन्तिपूर्वक रूप से काबिज कास्त है।

3. यह कि वादीया ने वाद वर्णित कृषि भूमि पर खरीद के समय से काबिज कास्त है गत सप्ताह वादीया को राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता हुई तथा वादीया ने अपनी खरीद शुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की तो पता चला कि वादीया की खरीद शुदा भूमि में उसका नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं है तब वादीया ने राजस्व कर्मचारीयों को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने को कहा तो राजस्व कर्मचारीयों ने वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने से इन्कार कर दिया। वादीया की खरीद शुदा भूमि का राजस्व कर्मचारीयों ने लापरवाही व गलती से नाम दर्ज नहीं करने के कारण वादीया को यह दावा घोषणात्मक दावा पेश करना आवश्यक हुआ तथा दावा के लिए आधार विवाद पैदा हुआ।
4. यह कि वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदार झब्बुराम, श्योनारायण पुत्रान धनसी का देहान्त हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।
5. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीया अपने खरीद शुदा भूमि को ओर अधिक उपजाउ करना चाहती है तथा अपने खरीद शुदा कब्जेशुदा भूमि को अधिक उपजाउ करने के लिए सममतल किया है तथा खाद वगैरा डाला है पेड़ आदि लगाये है तथा वादीया अपने खरीद शुदा भूमि को और अधिक उपजाउ करना चाहती है। इसलिए यह दावा खाता विभाजन पेश कर रही है।
6. यह कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीया का खरीद शुदा हिस्सा 0.38 है० का नामान्तकरण वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण गत सप्ताह जानकारी हुई तब वाद कारण पैदा हुआ जो सावधि पेश है।
7. यह कि विवादीत वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान जी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
8. यह कि वाद पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क पर पेश है।
9. यह कि वादीया ने राजस्व रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपि लेने के बाद राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं हुआ है।

10. अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया [illegible] डिक्री फरमाया जावे कि वाके

(क) वाद वादीया विरूद्ध [illegible] (राज०) में स्थित कृषि भूमि खाता ग्राम इन्द्रसर तहसील [illegible] स० 60 के ख० न० 18 रकबा 0.07 है० ख० न० 19 रकबा 0.12 है0 ख० न० 85 रकबा 0.39 है० ख० न0 91 रकबा 0.18 है० ख० न0 154 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुं...)

0.30 है० ख० न० 155 रकबा 0.70 है० ख० न० 183 रकबा 0.38 है० ख० न० 262 रकबा 0.64 है० ख० न० 263 रकबा 0.64 है० ख० न0 264 रकबा 0.60 है० कुल किता 10 कुल रकबा 4.02 है0 में से प्रति० स० 7 ल० 12 के हकपूर्वाधिकारी श्योनारायण के हिस्से 1/3 में से 0.38 है० भूमि विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2007 के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम इन्द्रसर के खाता स० 60 में से वादीया की खरीद शुदा भूमि रकबा 0.38 है० कब्जे शुदा भूमि बाहमी बंटवारे के मुताबिक कब्जे कास्त की भूमि का अलहेदा खाता व अलहेदा लगान कायम किया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो आयाचित रह गया हो न्यायालय श्रीमान जी उचित समझे वादीया को दिलवाया जावे।

(घ) हर्जा खर्चा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

11. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामिल जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

12. वादिया की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या नया 60, 61, 62 राजस्व ग्राम इन्द्रसर तथा नकल विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2017, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2006 पेश हुई। वादिया की ओर से इसके अतिरिक्त अन्य और कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

13. अधिवक्ता वादिया के निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादिया एक पक्षीय सुनी गई।

14. पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादिया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम इन्द्रसर की जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 के खाता संख्या नया 60 के खसरा नम्बर क्रमशः 18, 19, 85, 91, 154, 155, 183, 262, 263, 264 कुल किता 10 कुल रकबा 4.02 हेक्टेयर में विक्रेता श्योनारायण पिता धनसी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। उक्त के आधार पर श्योनारायण पिता धनसी ने उपरोक्त भूमि में खसरा नम्बर 18, 85, 183, 262, 263 कुल किता 5 कुल रकबा 2.12 हेक्टेयर में अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्से को विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2006 से भूरी देवी पत्नी श्री रामसिंह उम्र 50 साल [illegible] अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) को बेचान किये [illegible] उक्त खसरों का खाता अलग हो गया। विक्रेता श्योनारायण [illegible] कुल रकबा 4.02 हेक्टेयर सम्पूर्ण में पुनः अपना 1/3 हिस्सा मानते हुये 1/3 हिस्से में से रकबा 0.38 हेक्टेयर का विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2007 को वादिया [illegible] पक्ष में तस्दीक करवा गया। वादिया के पक्ष में विक्रित भूमि का वादिया के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ। क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व में जो बेचान हुआ था उन 5 नम्बरों का खाता अलग हो चुका था। वादिया ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 19, 91, 154, 155, 264 कुल किता 5 कुल रकबा 1.90 हेक्टेयर में विक्रेता श्योनारायण का वर्तमान में 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त 1/3 हिस्से में से वादिया को विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2007 के आधार पर रकबा 0.38 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे। इसके लिए वादिया सहमत है। वादिया खाता विभाजन का अनुतोष नहीं चाहती है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादिया के वाद पत्र के अभिवचनों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् के अनुसार वादिया का वाद पत्र सन्देह से परे साबित होता है। लिहाजा वाद वादिया स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

16. अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 68 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 19, 91, 154, 155, 264 कुल किता 5 कुल रकबा 1.90 हेक्टेयर में दर्ज श्योनारायण पुत्र धनसी जाति अहीर निवासी सहड़ के 1/3 हिस्से में से वादिया को विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2007 के आधार पर रकबा 0.38 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार (भू.अ) बुहाना को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार **अंतिम** पर्चा डिक्री जारी हो।

17. निर्णय आज दिनांक **17.07.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

कमला देवी पत्नी रामस्वरूप उम्र 57 साल जाति अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

......................वादिया

– ब ना म –

1. रामनारायण पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. हरदयाल पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. ज्यानकी देवी पत्नी झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. प्रभुदयाल पुत्र झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. हजारी लाल पुत्र झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. हवासिंह पुत्र झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. सुबेसिंह पुत्र झब्बुराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. ग्यारसी देवी पत्नी दलीप सिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
9. अजय कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
10. संदीप कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
11. सन्तरा देवी पत्नी रतीराम पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
12. सुनिल कुमार पुत्र रतीराम पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

13. लालचन्द पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

14. भूरी देवी पत्नी रामसिंह जाति अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..............................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणात्मक खातेदारी एवं खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 22 / 2018

GCMS NO. 2018/00026

निर्णय दिनांक :– 17.07.2025

वादिया की ओर से **श्री अशोक यादव (सांतोर) एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **कोई नहीं** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **17.07.2025** को **सुमन देवी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 68 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 19, 91, 154, 155, 264 कुल किता 5 कुल रकबा 1.90 हेक्टेयर में दर्ज श्योनारायण पुत्र धनसी जाति अहीर निवासी सहड़ के 1 / 3 हिस्से में से वादिया को विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2007 के आधार पर रकबा 0.38 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार (भू.अ) बुहाना को आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **17.07.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)